झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः— राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में यू0जी0/पी0जी0 कोर्स में शतप्रतिशत नामांकित सीटों को बरकरार रखने, नामांकन नहीं लेने, बीच सत्र में महाविद्यालय छोड़ने पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित करने तथा पी0जी0 कोर्स में नामांकन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के संबंध में स्वीकृति।

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में Under Graduate/Post Graduate Course में नामांकन के उपरान्त अथवा कोर्स पूरा करने के पूर्व कुछ छात्र कोर्स छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं जिसके फ़लस्वरूप उक्त सीटें रिक्त रह जाती है। इससे राज्य को अपूरणीय क्षति होती है।

वर्त्तमान प्रावधान के अनुसार पी0जी0 कोर्स में पढ़ाई के दौरान अथवा कोर्स पूरा करने के पूर्व कोर्स छोड़कर जानेवाले पी0जी0 छात्रों को छात्रवृत्ति के मद में भुगतान की गयी राशि एवं 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़कर जमा कराया जाता है। यह राशि अत्यल्प होने के कारण छात्रों में कोर्स छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ गयी है।

अतः राज्य के मेडिकल कॉलेज में Under Graduate/Post Graduate Course कोर्स में शतप्रतिशत सीटों पर नामांकन सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :—

2. All India Quota एवं State Quota के सीटों के विरूद्ध Under Graduate/Post Graduate Course कोर्स में नामांकन हेतु Final round of counselling द्वारा आवंटित सीटों में किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं होगा। यदि कोई छात्र Final counselling के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में नामांकन नहीं लेते है तो वैसे छात्रों को झारखण्ड में उक्त कोर्स में नामांकन हेतु NEET U.G./P.G. अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अगले एक शैक्षणिक सत्र के लिये वंचित कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि वे राज्य के बाहर के किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन कराते हैं एवं कोर्स पूर्ण करने के पूर्व छोडकर किसी अन्य महाविद्यालय में नामांकन कराते हैं तो आर्थिक दण्ड के रूप में रू0 10,00,000/— (दस लाख) का दण्ड अधिरोपित किया जायेगा तथा छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान की गई राशि की भी वसूली की जायेगी।

3. P.G. कोर्स में नामांकन लेनेवाले All India Quota एवं State Quota के सभी छात्रों को एक Bond Paper समर्पित करना होगा, जिसमें कोर्स पूरा करने के उपरान्त एक वर्ष तक झारखण्ड सरकार के अधीन सेवा करने की बाध्यता का उल्लेख होगा। इस शर्त्त का अनुपालन नहीं करने वाले छात्रों पर रू0 15,00,000/– (पन्द्रह लाख) का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। सरकार द्वारा कोर्स समाप्ति के उपरांत रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर एक वर्ष के लिए सफल विद्यार्थियों की सीधी नियुक्ति Campus Selection द्वारा की जायेगी। यदि सरकार उन्हें झारखण्ड सरकार के अधीन सेवा प्रदान करने में विफल रहती है तो यह बाध्यता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0–W.P. (PIL)-1938/2014 में पारित न्यायादेश एवं भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली की संशोधित अधिसूचना सं0–M.C.I.-18 (1)/2010-med/62052 दिनांक 15.02.2012 द्वारा अधिसूचित Post Graduate Medical Education (Amendment) Regulation, 2012 (Part-1) की उप कंडिका (vii) के अनुपालन में "झारखण्ड सरकार के सेवा में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी जो ग्रामीण क्षेत्र में तीन वर्षों तक कार्यरत रह चुके हैं" को स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रम के सभी विषयवार डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु कुल डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सीटों का 50 (पचास) प्रतिशत सीट आरक्षित किया जायेगा। इन आरक्षित सीटों वाले चिकित्सा पदाधिकारियों को एक बंध पत्र देना आवश्यक होगा कि वे डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत कम–से–कम पाँच वर्षो तक राज्य सरकार के अन्तर्गत अपनी सेवा देंगे। इस निमित्त उन्हें 10,00,000/– (दस लाख) रूपये का एक बॉन्ड देना होगा। बन्ध पत्र का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में 10,00,000/– (दस लाख) रूपये एवं डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पर हुए व्यय की वसूली की जायेगी। इन 50 प्रतिशत आरक्षित सीट पर भी झारखण्ड राज्य का आरक्षण नियम लागू होगा।

5. संकल्प निर्गत की तिथि से प्रवृत्त समझा जायेगा। एतद् संबंधी सभी अधिसूचनाएँ, संकल्प, नियम एवं नियमावली, ओदश/अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए सरकारी राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(के0 विद्यासागर)
सरकार के प्रधान सचिव।

RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RANCHI.

DELARATION FOR JUNIOR/SENIOR RESIDENT DOCTORS (ACADEMIC)

I Dr. ______________________________ Junior/Senior Resident (Academic) doctor (Resident) MD/MS/M.Ch./Diploma ______________ session ______________ Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi hereby declare that I will not leave the course before completion and will serve in the institute with full dedication.

If due to any reason, I have to leave the course before completion, I will deposit a sum of Rs. 10, 00000/- (Rs. Ten lacs) only and also return the Stipend/Salary received during this tenure in accordance with the resolution no. 230(9) dated 22-12-2015 of Department of Health, Govt. of Jharkhand and only then I Shall be eligible to leave the institute and will be allowed to get back the original certificates deposited at the time of admission.

____

Signature of Junior/Senior Resident Doctor (Academic)

I Dr. ______________________________ Junior/Senior Resident (Academic) doctor (Resident) MD/MS/M.Ch./Diploma ______________ session ______________ Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi hereby declare that after completing my above mentioned course, will render my services to Govt. of Jharkhand for 1 year under Govt. of Jharkhand on vacant post on contract. If I do not abide to this I will be liable for a monetary punishment of Rs. 15, 00000/- (Rs. Fifteen lacs) only as decided by Department of Health, Govt. of Jharkhand vide resolution no 230(9) dated 22-12-2015.

If Jharkhand Govt. fails to appoint me, the above bond will not be applicable to me and will stand null & void.

____

Signature of Junior/Senior Resident Doctor (Academic)

I Dr. ______________________________ Junior/Senior Resident (Academic) doctor (Resident) MD/MS/M.Ch./Diploma ______________ session ______________ Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi do hereby declare that I am working in Govt. of Jharkhand and had worked last three years in the Rural area. After doing my P.G. course I am a ready to work at least 5 years in the Govt. of Jharkhand in accordance with the provision of Health Deptt. Resolution No. 230(9) dated 22-12-2015.

If I failed to do this I agree to refund Rs. 10, 00000/- (Rs. Ten lacs) only and the expenses incurred for obtaining my Degree/Diploma in one installment.

____

Signature of Junior/Senior Resident Doctor (Academic)